भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3989
दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

ओडिशा में निर्भया कोष

3989. श्री सतीश चंद्र दुबे:
श्रीमती ममता मोहंता:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा निर्भया कोष के अंतर्गत अब तक कितनी निधि आबंटित और उपयोग की गई है, ओडिशा एवं बिहार सहित वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या निर्भया कोष के एक बड़े हिस्से का आज तक उपयोग नहीं हुआ है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं;
(घ) ओडिशा एवं बिहार सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर(ओएससी) स्थापित करने के लिए निर्भया कोष का उपयोग किए जाने का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार द्वारा निर्भया कोष का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों और इसके लिए भावी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : निर्भया निधि के तहत विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के लिए जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) और (ग) : निर्भया निधि के तहत आबंटित 6212.85 करोड़ रुपये(वित्त वर्ष 2021-22 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आबंटित 500.00 करोड़ रुपये सहित) में से, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 4366.89 करोड़ रुपये की राशि संवितरित/जारी की गई है।

निर्भया निधि के तहत परियोजनाएं/स्कीमें मांग चालित हैं। निर्भया निधि के ढांचे के तहत अधिकार-प्राप्त समिति(ईसी) द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजनाओं/स्कीमों का कार्यान्वयन कंपित है। इसके अलावा, कुछ मूल्यांकित परियोजनाओं का कार्यान्वयन केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा सीधे ही किया जाता है, यद्यपि अधिकांश परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है, जिनमें केंद्र सरकार संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के निर्धारित निधि हिस्सेदारी पैटर्न के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करती है और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित कार्यान्वयन अवधि के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, ऐसी स्कीमें हैं, जिनमें सेवाएं प्रदान करने के लिए आवर्ती व्यय की जरूरत होती है जिसके संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी/प्राधिकरण से उपयोग प्रमाणपत्र(यूसी) और व्यय का विवरण(एसओई) प्राप्त होने पर आगे निधियां जारी की जाती हैं। उपयुक्त प्रमाणपत्र उस वित्त वर्ष जिसमें अनुदान जारी किया गया, के समाप्त होने के 12 महीनों के भीतर प्रस्तुत करना होता है। अत: यह संभव है कि वास्तव में अधिक राशि का उपयोग किया गया है किंतु संबंधित राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों(जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक उपयोग प्रमाणपत्र(यूसी) और व्यय का विवरण(एसओई) प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों से यूसी और एसओई प्रस्तुत करने के लिए नियमित रूप से कहा जाता है। सक्षम अधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाला समय, अनुबंध दिए जाने के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया, अप्रत्याशित कारणों जैसे कोविड-19 आदि के कारण बाधाओं जैसे अन्य विभिन्न कारक भी स्कीमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं।

(घ) : ओडिशा और बिहार राज्यों को निर्भया निधि के तहत राज्यों में वन स्टॉप सैंटरों की स्थापना और प्रबंधन के लिए क्रमश: 26.54 करोड़ रुपये और 28.31 करोड़ रुपये की राशि संवितरित/जारी की गई है।

(ङ) : निर्भया निधि के ढांचे के तहत गठित अधिकारियों की एक अधिकार-प्राप्त समिति (ईसी) निर्भया निधि से वित्त पोषण के प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुशंसा करती है। यह समिति संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों के संयोजन में समय-समय पर निर्भया निधि के तहत स्कीमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी करती है। इसके अलावा, कार्यान्वयन के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/कार्यान्वयन एजेंसियों के स्तर पर भी निगरानी और समीक्षा की जाती है।

******

अनुलग्नक

'ओडिशा में निर्भया कोष' के संबंध में श्री सतीश चंद्र दुबे और श्रीमती ममता मोहंता द्वारा 06.04.2022 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3989 के उत्तर के भाग(क) में संदर्भित अनुलग्नक

निर्भया निधि के तहत विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि						प्रयुक्त राशि
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3.30	1.93	0.88	0.82	5.86	0.91	4.17
2	आंध्र प्रदेश	19.88	66.36	8.98	13.35	2.63	12.48	30.77
3	अरुणाचल प्रदेश	6.00	2.78	8.63	6.56	11.04	4.16	7.27
4	असम	17.30	4.19	8.03	18.36	16.82	11.70	17.34
5	बिहार	21.51	2.85	3.63	24.15	26.90	33.26	17.85
6	चंडीगढ़	4.25	2.50	0.68	1.00	3.77	0.77	6.20
7	छत्तीसगढ़	22.00	12.06	7.47	22.06	7.58	12.00	37.13
8	दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव	0.20	8.97	0.01	4.22	3.67	0.45	3.87
9	दिल्ली	32.80	9.24	74.23	291.32	8.85	5.27	411.90
10	गोवा	6.01	1.74	0.05	5.42	3.47	0.47	5.31
11	गुजरात	16.16	6.54	58.07	68.95	54.26	13.31	174.77
12	हरियाणा	16.13	2.91	4.80	13.36	7.75	9.42	23.03
13	हिमाचल प्रदेश	5.92	1.80	4.60	16.70	3.68	1.80	11.03
14	जम्मू और कश्मीर	9.67	2.38	3.58	14.98	2.79	6.53	10.27
15	झारखंड	5.07	11.38	7.07	15.12	19.44	7.07	13.11
16	कर्नाटक	20.29	5.65	206.84	24.24	21.06	21.26	229.41
17	केरल	16.07	4.68	3.51	15.42	12.28	5.69	20.37
18	लद्दाख-यूटी	0.00	0.19	0.00	0.00	4.05	0.30	0.56
19	लक्षद्वीप	0.10	4.57	0.00	0.21	0.37	0.15	0.77
20	मध्य प्रदेश	29.53	19.70	15.57	45.72	33.05	46.13	60.15
21	महाराष्ट्र	19.79	21.81	118.21	132.39	13.25	8.61	195.50
22	मणिपुर	4.81	1.63	5.92	9.30	11.37	5.15	13.71
23	मेघालय	5.41	1.70	2.19	8.03	8.50	3.47	8.31
24	मिजोरम	4.86	3.44	5.68	6.84	4.06	11.35	14.25
25	नागालैंड	5.82	5.75	5.23	10.68	4.66	8.69	22.01
26	ओडिशा	20.24	4.12	8.74	24.87	15.77	23.80	19.26
27	पुद्दुचेरी	3.33	1.82	0.99	4.98	3.32	0.78	2.39
28	पंजाब	14.35	5.91	9.52	16.88	9.27	5.05	19.49
29	राजस्थान	29.22	7.22	8.18	25.93	21.74	35.03	65.23
30	सिक्किम	0.23	6.21	0.73	1.84	6.33	1.38	4.22
31	तमिलनाडु	15.31	3.38	183.68	97.52	14.05	15.30	92.29
32	तेलंगाना	17.02	7.36	89.03	65.08	8.99	49.33	83.48
33	त्रिपुरा	5.53	1.64	3.19	5.73	2.63	6.86	7.30
34	उत्तर प्रदेश	32.65	47.97	93.96	105.51	163.24	45.21	169.66
35	उत्तराखंड	8.45	3.84	3.30	9.60	8.40	4.82	20.17
36	पश्चिम बंगाल	21.43	4.32	49.96	17.82	6.18	2.50	89.48

*****